

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण हेतु समिति का गठन
2.	नागौरी पान मेथी 'कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी' के रूप में पंजीकृत
3.	राजस्थान गौ सेवा नीति, 2026 (प्रस्तावित)
4.	हॉकी खिलाड़ी गंगोत्री भंडारी का निधन
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. मरू बीकाणा वन मेला - 2026 2. राज्य स्तरीय वानस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला 3. डॉ. कपिल कुमार आनंद NSSAA में शामिल
6.	प्राकृतिक गैस आपूर्ति को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम
7.	राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)
8.	रक्षा बलों का विजन 2047
9.	सावित्रीबाई फुले (1831-1897 ई.)
10.	भारत टेक्स, 2026
11.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
12.	अनुपूरक अनुदान मांग (Supplementary Demand for Grants)
13.	मुख्य चुनाव आयुक्त
14.	फिसकल हेल्थ इंडेक्स (FHI), 2026
15.	समान नागरिक संहिता (UCC)
16.	जल जीवन मिशन (JJM)
17.	भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन
18.	GPS जैमिंग/स्पूफिंग




राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण हेतु समिति का गठन



चर्चा में क्यों?

- राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य : खेजड़ी के वृक्षों को बीमारियों से बचाना, अवैध कटाई पर रोक लगाना और इनके संरक्षण के लिए नई कार्ययोजना तैयार करना।

- ज्ञातव्य है कि हाल ही में हुए 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जब तक नया संरक्षण कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक पूरे राज्य में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।


फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- वानस्पतिक नाम - प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
- उपनाम - जांटी, शमी वृक्ष (ग्रन्थों में), सीमलो, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पवृक्ष/थार का कल्पवृक्ष।
- सर्वाधिक खेजड़ी - नागौर जिले में।
- सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र - शेखावाटी।
- खेजड़ी के फूल - नीमझर/मींझर, हराफल - सांगरी, पत्तियाँ - लूम/लूंग।
- खेजड़ी पर वर्ष 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया।
- राज्य वृक्ष घोषित : 31 अक्टूबर, 1983
- खेजड़ली गाँव (जोधपुर) में वर्ष 1730 में अमृता देवी बिश्रोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिये पेड़ों से चिपककर अपना बलिदान दिया था। यह घटना तत्कालीन मारवाड़ शासक अभयसिंह के शासन काल की है।
- प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है।
- 12 सितम्बर, 1978 से प्रति वर्ष 12 सितम्बर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है।
- मांगलियावास (अजमेर) में कल्प वृक्ष (खेजड़ी के पुराने दो वृक्ष) है जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है।
- माटो - बीकानेर के राजचिह्न में खेजड़ी वृक्ष दर्शाया गया है, इसे माटो कहा जाता है।
- थार शोभा - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (CIAH), बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की कांटे रहित किस्म।

नागौरी पान मेथी 'कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी' के रूप में पंजीकृत

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार के 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी' (PPV&FRA) ने 'नागौरी पान मेथी' को 'कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी' (सामुदायिक कृषक किस्म) के रूप में आधिकारिक पंजीकरण और प्रमाण पत्र प्रदान किया।



मुख्य बिन्दु:

- इस पंजीकरण के माध्यम से नागौर जिले के किसान समुदाय को इस विशेष मेथी किस्म पर कानूनी अधिकार और वैधानिक स्वामित्व प्राप्त हुआ है।

--:4:--

- इस किस्म का मुख्य रूप से उत्पादन नागौर जिले के मेड़ता सिटी, जायल और खींवसर क्षेत्रों में होता है, जहाँ लगभग 7,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है।
- **वैज्ञानिक नाम :** ट्रिगोनेला कॉर्निकुलाटा एल. (Trigonella corniculata L.)
- यह अपनी विशिष्ट सुगंध और दरांती के आकार की फलियों के लिए जानी जाती है, जो सुखाने के बाद भी बरकरार रहती है।
- इस अधिकार के लिए नागौर के किसानों का प्रतिनिधित्व पंचायत समिति मूंडवा की प्रधान गीता देवी ने किया। गीता देवी कानूनी तौर पर नागौरी पान मेथी की संरक्षक और अधिकार धारक होंगी।
- साथ ही, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC), जोधपुर द्वारा शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर 25 जून, 2024 को पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया गया था।
- 'नागौरी पान मेथी' को सामुदायिक कृषक किस्म की मान्यता न केवल किसानों को बायोपाइरेसी से बचाएगी, बल्कि भविष्य में इसके लिए GI टैग प्राप्त करने और निर्यात की संभावनाओं को भी मजबूत करेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:


PPV&FRA:

- **पूरा नाम :** प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी।
- **स्थापना :** पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत वर्ष 2005 में।
- **संबंधित मंत्रालय :** केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **मुख्य उद्देश्य :** किसानों और पादप प्रजनकों को फसल किस्मों के विकास के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना और उनकी रक्षा करना, जिससे वे 15-18 वर्षों तक उत्पादन और विपणन के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर सकें।
- यह प्राधिकरण कृषक किस्मों का पंजीकरण करता है और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में लगे किसानों को पुरस्कृत करता है।

राजस्थान गौ सेवा नीति, 2026 (प्रस्तावित)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में 'गौ सेवा नीति-2026' लागू करने की घोषणा की गई।



--:6:--



मुख्य बिन्दु:

- इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में गौ संरक्षण, संवर्धन और पशुधन विकास को एक नई दिशा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
- इस नीति के अंतर्गत गौ सेवा और गौ कल्याण को अधिक गति प्रदान की जाएगी, जिससे गोधन का विकास होगा। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही किसानों और पशुपालकों को संबल प्रदान करने में सहायक होगी।
- **प्रमुख योजनाएँ** : राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना', 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना', 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' आदि संचालित की जा रही है।
- **गौ अनुदान** : पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन ₹50 तथा छोटे पशु के लिए प्रतिदिन ₹25 का अनुदान।
- **गौ माता आश्रय स्थल** : राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य के 457 पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित 'गौ माता आश्रय स्थल' स्थापित किए जाएंगे।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना:

- **शुरुआत** : 13 दिसंबर, 2024 को अजमेर के कायड़ में आयोजित किसान सम्मेलन में।
- **उद्देश्य** : पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनका आर्थिक सुदृढीकरण करना।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के गाय, भैंस, भेड़, बकरी व ऊँट पालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।

Daily Current Affairs

Date : 12 March, 2026



प्रावधान :

- योजना के अंतर्गत जनाधार कार्ड धारक पशुपालक को निम्नलिखित लाभ देय होगा।

बीमित पशुओं की पात्रता (प्रति जनाधार कार्ड)

पशु का प्रकार	अधिकतम संख्या
दुधारू गाय	02
दुधारू भैंस	02
गाय + भैंस का मिश्रण	01 गाय + 01 भैंस
बकरी / भेड़	10
उष्ट्र वंश (नर एवं मादा)	10

कीमत का निर्धारण:

क्र.स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण
1.	गाय (दुधारू)	₹3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। अधिकतम राशि ₹40,000 प्रति पशु।
2.	भैंस (दुधारू)	₹4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। अधिकतम राशि ₹40,000 प्रति पशु।
3.	बकरी (मादा)	अधिकतम राशि ₹4000 प्रति पशु।
4.	भेड़ (मादा)	अधिकतम राशि ₹4000 प्रति पशु।
5.	ऊँट (नर एवं मादा)	अधिकतम राशि ₹40,000 प्रति पशु।

--8--

हॉकी खिलाड़ी गंगोत्री भंडारी का निधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान की हॉकी खिलाड़ी गंगोत्री भंडारी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

मुख्य बिन्दु:

- गंगोत्री भंडारी का जन्म 13 अगस्त, 1956 को पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) में हुआ था, लेकिन वर्ष 1966 में वह जयपुर आ गई और यहीं से अपने हॉकी करियर की शुरुआत की।
- **ओलंपिक भागीदारी** : 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व।
- **एशियाई खेल** : 1982 के नई दिल्ली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा।
- **अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक** : वर्ष 1981 में क्योटो (जापान) में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप और वर्ष 1982 में पुणे में बेगम रसूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक।

प्रमुख पुरस्कार:

- **महाराणा प्रताप पुरस्कार (1994)** : राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार।
- **अरावली अवार्ड (1989)**।
- **नाहर सम्मान पुरस्कार (1991)**।
- **एमिनेंट यूथ अवार्ड (1985)**।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>मरू बीकाणा वन मेला - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">27 फरवरी, 2026 को बीकानेर के ग्रामीण हाट में 'मरू बीकाणा वन मेला - 2026' का आयोजन किया गया।राजस्थान वन विभाग द्वारा आयोजित यह एक संभाग स्तरीय कार्यक्रम था, जिसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
2.	<p>राज्य स्तरीय वानस्पतिक बीज बैंक कार्यशाला</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोचर एवं औरण भूमि के विकास, घास-चारा उत्पादन तथा देशी वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वानस्पतिक बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी।इसी क्रम में प्रदेश के 30 जिलों में कुल 150 बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्घाटन 22 अप्रैल, 2025 को किया गया था।
3.	<p>डॉ. कपिल कुमार आनंद NSSAA में शामिल</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, खेल मंत्रालय ने जयपुर निवासी डॉ. कपिल कुमार आनंद को 'नेशनल सर्विस स्कीम एलुमिनाई एसोसिएशन (NSSAA)' की 12 सदस्यों वाली टीम में शामिल किया।उन्हें वर्ष 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय परिदृश्य

प्राकृतिक गैस आपूर्ति को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया है।

Essential Commodities act 1955:
घरेलू गैस LPG उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

ECA

LPG LPG

मुख्य बिन्दु:

- यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उठाया गया है। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की शिपमेंट गंभीर रूप से बाधित हो गई है।

-:11:-

आदेश के मुख्य प्रावधान

- **चार-स्तरीय प्राथमिकता आवंटन फ्रेमवर्क:** सीमित आपूर्ति के प्रबंधन के लिए, आवंटन फ्रेमवर्क पिछले छह महीनों में उपभोक्ताओं के औसत गैस उपयोग पर आधारित है।
- **गैस पुनर्वितरण:** विद्युत संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं सहित गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए गैस आपूर्ति में आंशिक या पूर्ण कटौती की जाएगी।
- **गैस पूलिंग तंत्र:** गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेजी गई गैस को एक नए निर्धारित 'पूल मूल्य' पर बेचा जाएगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955

- **उद्देश्य:** यह सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं कीमतों को विनियमित करने की अनुमति देता है।
- **धारा 3:** ECA की धारा 3 केंद्र सरकार को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)


चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विकसित नई पहलों का शुभारंभ किया गया।

मुख्य बिन्दु:

पहल:

- नेत्र (NDSA इंजन फॉर ट्रेकिंग एंड रिव्यु यूजिंग AI): यह बांध सुरक्षा से संबंधित जानकारी त्वरित प्राप्त करने के लिए AI-आधारित प्लेटफॉर्म है।



- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण: इसे 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (C-DAC) द्वारा तैयार और प्रारंभ किया गया है।
- यह बांध टूटने की संभावनाओं की स्थितियों के जोखिम आकलन के लिए विश्लेषण आधारित प्लेटफॉर्म है।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)

- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है।
- मंत्रालय: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय।

रक्षा बलों का विजन 2047

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री ने एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज " रक्षा बल विजन 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोडमैप" को जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

रक्षा बलों के विजन 2047 के उद्देश्य

- भविष्य के युद्ध की तैयारी: यह दृष्टिकोण साइबर, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना युद्ध सहित बहु-क्षेत्रीय युद्ध के लिए सेना को तैयार करने पर जोर देता है।
- राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल: रक्षा क्षमताओं का रूपांतरण भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।

रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ


- **एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय सैन्य संरचना:** यह परिकल्पना एक एकीकृत सैन्य संरचना विकसित करने का प्रस्ताव करती है जो भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम हो।
- **विभिन्न सेवाओं के बीच अधिक समन्वय:** एक प्रमुख स्तंभ सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल है।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना:** यह रोडमैप रक्षा विनिर्माण में सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है।
- **तकनीकी प्रगति:** इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियाँ, साइबर क्षमताएँ और उन्नत निगरानी उपकरण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अधिक उपयोग का प्रस्ताव है।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** रोडमैप में एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के निर्माण के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं की पहचान की गई है।

इतिहास एवं संस्कृति

सावित्रीबाई फुले (1831-1897 ई.)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री ने सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।



मुख्य बिन्दु:

- जन्म: नायगांव, सतारा (महाराष्ट्र)।
- वे पुणे के प्रथम बालिका विद्यालय में पहली महिला शिक्षिका बनीं।

मुख्य योगदान:

- महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की।
- संकटग्रस्त गर्भवती महिलाओं को आश्रय देने के लिए बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की।
- नेटिव फीमेल स्कूल, पुणे नामक शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की।

सामाजिक कार्य:

- उन्होंने पहले सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की (बिना दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों के विवाह)।
- 1897 ई. में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों की सेवा करते हुए उनका निधन हो गया।

--:16:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

भारत टेक्स, 2026

चर्चा में क्यों?

- वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से वस्त्र संबंधी सभी परिषदों का संघ 14 से 17 जुलाई, 2026 को भारत मंडपम (प्रगति मैदान), नई दिल्ली में 75वें अंतरराष्ट्रीय वस्त्र मेले सहित भारत टेक्स, 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा।

SUPPORTED BY
MINISTRY OF
TEXTILES
Government of India

INSPIRED BY THE
5F
VISION
FARM TO
FIBRE TO
FACTORY TO
FASHION TO
FOREIGN

Organised By
BHARAT TEX
TRADE FEDERATION

India's Largest Global
Textile Event
IS BACK!

JULY 14th - 17th
BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI
Complete Textile Value Chain

“Bharat Tex is an excellent platform
to highlight India's exceptional
capabilities in the textile industry.”

NARENDRA MODI
Prime Minister

**Bharat
TEX 2026**
TEXTILES | FASHION | SUSTAINABILITY
Global Textile Expo

मुख्य बिन्दु:

- आयोजन : 14 से 17 जुलाई, 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

--:17:--

Daily Current Affairs

Date : 12 March, 2026



- **उद्देश्य :** भारत को वैश्विक वस्त्र हब (टिकाऊ और चक्रीय) के रूप में प्रदर्शित करना, विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देना।
- **5F विज्ञान पर आधारित :** 5F; फार्म (खेत) से फाइबर (रेशा), फाइबर से फैक्ट्री (कारखाना), फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फोरेन (विदेश)।
- **लक्ष्य:** कृषि, व्यापार और निर्यात को बढ़ाना।
- **संस्करण :** तीसरा (पहला : 2024 और दूसरा: 2025)
- **आयोजक:** भारत टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन (BTTF); वस्त्र उद्योग से संबंधित 11 निर्यात संवर्धन परिषदों (EPC) और अन्य उद्योग निकायों का एक समूह है।
- **सहयोग:** वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
- **विशेषता:** यह अब तक का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक वस्त्र आयोजन है।
- **विशेष फोकस क्षेत्र :** संवहनीय और चक्रीय वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एकीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजार पहुँच।

--:18:--

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान


चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान व इसके अंतर्गत पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण योजना के संदर्भ में राज्यसभा में लिखित जानकारी प्रस्तुत की गई।



CABINET DECISIONS
13 APRIL 2022

Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) 1/2



- Cabinet approves continuation of revamped Centrally Sponsored Scheme of **Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)**
- To be implemented from **01.04.2022** to **31.03.2026**
- Will extend to **all States and UTs of the country**
- Total financial outlay of the scheme is **Rs.5911 crore**

Central Share **Rs.3700 crore**

State Share **Rs.2211 crore**

--:19:--

Daily Current Affairs

Date : 12 March, 2026



मुख्य बिन्दु:

वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार:

1. क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार :

जीपी की रैंक	पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत / समकक्ष निकाय	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरस्कार की राशि
1 st	दव्वा एस	सड़क अर्जुनी	गोंडिया	महाराष्ट्र	1 करोड़
2 nd	बिरडाहल्ली	सकलेशपुर	हसन	कर्नाटक	75 लाख
3 rd	मोतीपुर	रोसेरा	समस्तीपुर	बिहार	50 लाख

2. आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए)

जीपी की रैंक	पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत /समकक्ष निकाय	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरस्कार की राशि
1 st	मल्ल	याचारम	रंगारेड्डी	तेलंगाना	1 करोड़
2 nd	हटबदरा	कुसुमी	मयूरभंज	ओडिशा	75 लाख
3 rd	गोलापुडी	विजयवाड़ा ग्रामीण	कृष्णा	आंध्र प्रदेश	50 लाख

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान :

- **पृष्ठभूमि :** इस अभियान को सर्वप्रथम वर्ष 2018 में मंत्रीमंडल द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था।
- **अवधि:** 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक।

--:20:--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

Daily Current Affairs

Date : 12 March, 2026



- **कार्यान्वयन एजेंसी :** पंचायती राज मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सशक्त बनाना तथा SDG (सतत् विकास लक्ष्य) को पूरा करने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना।
- **वित्तपोषण:** केन्द्र : राज्य = 60 : 40 (केन्द्र : पहाड़ी राज्य = 90 : 10) (केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत केन्द्र)
- **फोकस :** सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का स्थानीकरण करना।
- **दृष्टि:** "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" के अनुरूप है।
- **महत्त्व:** सामाजिक-आर्थिक न्याय तक पहुँच, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार तथा पंचायतीराज संस्थाओं का विकास।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:21:--

अनुपूरक अनुदान मांग (Supplementary Demand for Grants)

चर्चा में क्यों?

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग संसद में प्रस्तुत की गई।



मुख्य बिन्दु:

अनुपूरक अनुदान मांग

- संविधान के अनुच्छेद-115 के तहत इसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- यह किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में अधिकृत व्यय से अधिक आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाता है।
- यह सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त

चर्चा में क्यों?

- विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं।



मुख्य बिन्दु:

संविधान का अनुच्छेद-324

- संविधान के अनुच्छेद-324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त शामिल होंगे।
- भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

- संविधान में यह निर्दिष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधान-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद-324(5) में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसमें हटाने की मांग के आधार निर्दिष्ट होने चाहिए।
- प्रस्ताव का समर्थन निम्नलिखित द्वारा किया जाना चाहिए:
 - लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य , या
 - राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य ।
- एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं ।
- यदि समिति आरोपों को सिद्ध पाती है, तो संसद में प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है।
- इसके बाद दोनों सदनों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा ।
- दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति निष्कासन का अंतिम आदेश जारी करते हैं।


फिसकल हेल्थ इंडेक्स (FHI), 2026



चर्चा में क्यों?

- राजकोषीय प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) ने अपनी दूसरी वार्षिक 'फिसकल हेल्थ इंडेक्स, 2026' रिपोर्ट जारी की।

Major States: State-wise Composite FHI Score Heatmap



Achiever	Front Runner	Performer	Aspirational
Odisha (1)	Gujarat (4)	Madhya Pradesh (10)	Kerala (15)
Goa (2)	Maharashtra (5)	Haryana (11)	West Bengal (16)
Jharkhand (3)	Chhattisgarh (6)	Bihar (12)	Andhra Pradesh (17)
	Telangana (7)	Tamil Nadu (13)	Punjab (18)
	Uttar Pradesh (8)	Rajasthan (14)	
	Karnataka (9)		

--:25:--

मुख्य बिन्दु:

- परिचय: भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु एक मूल्यांकन साधन है।
- पैरामीटर: 5 उप सूचकांकों के आधार पर तुलनात्मक मूल्यांकन।
 - राजकोषीय विवेक
 - व्यय गुणवत्ता
 - राजस्व जुटाना
 - ऋण सूचकांक
 - ऋण स्थिरता

MAJOR SUB-INDICES	MINOR SUB-INDICES
1. Quality of Expenditure	1.1 Total Developmental Expenditure/Total Expenditure
	1.2 Total Capital Outlay/ GSDP*
2. Revenue Mobilization	2.1 State Own Revenue/ GSDP*
	2.2 State Own Revenue/ Total Expenditure
3. Fiscal Prudence	3.1 Gross Fiscal Deficit/ GSDP*
	3.2 Revenue Deficit/ GSDP*
4. Debt Index	4.1 Interest Payments/Revenue Receipts
	4.2 Outstanding Liabilities/ GSDP*
5. Debt Sustainability	5.1 Growth Rate of GSDP* - Growth Rate of Interest Payments

- उद्देश्य: राजकोषीय सुदृढ़ता का मूल्यांकन करना, सुधारों को दिशा देना और राज्यों में साक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति निर्माण को बढ़ावा देना।

FHI, 2026 के मुख्य बिंदु:

- राज्यों का हिस्सा भारत के सामान्य सरकारी ऋण में लगभग 1/3 है जिससे उनकी राजकोषीय दिशा राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता के लिए केंद्रिय महत्त्व रखती है।
- यह रिपोर्ट राज्यों में राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत प्राथमिकताओं पर जोर देती है;

Daily Current Affairs

Date : 12 March, 2026



1. राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और राज्यों की कर क्षमता को मजबूत करना।
2. राजकोषीय लचीलापन वापस लाने के लिए तय खर्चों को तर्कसंगत बनाना।
3. पूँजीगत खर्च की बनावट और गुणवत्ता में सुधार करना।
4. घाटे और कर्ज के रुझानों को ज्यादा असरदार तरीके से संभालने के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना के ढाँचे को अपनाना।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों की अंतिम रैंकिंग:

2023-24 रैंक	राज्य	FHI स्कोर	2023-24 के मुकाबले कमी/वृद्धि	व्यय गुणवत्ता	राजस्व जुटाना	राजकोषीय विवेक	ऋण सूचकांक	ऋण स्थिरता
1 st	ओडिशा	73.1	स्थिर	71.2	80.3	58.7	95.8	59.5
2 nd	गोवा	54.7	1 स्कोर की वृद्धि	49.5	80.4	45.0	56.8	41.9
3 rd	झारखण्ड	50.5	1 स्कोर की वृद्धि	66.3	37.6	54.4	67.9	26.3
4 th	गुजरात	49.9	1 स्कोर की वृद्धि	48.7	44.8	51.5	74.2	30.2
14 th	राजस्थान	27.6	1 स्कोर की कमी	43.7	29.4	11.3	32.1	21.5
18 th (अंतिम)	पंजाब	12.4	स्थिर	8.1	29.8	5.9	2.1	15.9

- **नोट:** हरियाणा: FHI, 2026 में 3 स्कोर की सर्वाधिक वृद्धि (स्कोर: 34.5) के साथ 11वें स्थान पर रहा।
- **नोट:** छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ FHI, 2026 में 4 स्कोर की सर्वाधिक कमी (स्कोर : 44.3) के साथ 6वें स्थान पर रहा।


--:27:--

समाजशास्त्र

समान नागरिक संहिता (UCC)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पाविनी शुक्ला बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत कानूनों में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए UCC का सुझाव दिया है।



मुख्य बिन्दु:

समान नागरिक संहिता (UCC)

- इसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ, लिंग या लैंगिक रुझान के भेदभाव के बिना, सभी नागरिकों के लिए धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानून से बदलना है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद-44:** यह राज्य को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

--:28:--

- **संघीय स्थिति:** विवाह, तलाक, बच्चों को गोद लेना और उत्तराधिकार समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) का हिस्सा हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

UCC की आवश्यकता क्यों?

- लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना
- पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा देना
- कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा

भारत में UCC की वर्तमान स्थिति-

- उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC लागू करने वाला पहला और एकमात्र राज्य है।
- गोवा में 1867 के 'पुर्तगाली नागरिक संहिता' के रूप में एक समान नागरिक संहिता पहले से ही चलन में है।
- वर्तमान में, भारत में कोई राष्ट्रव्यापी UCC लागू नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों जैसे शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) में UCC को लागू करने का आह्वान किया है।
- 21वें विधि आयोग (2018) ने परामर्श पत्र में कहा था कि इस चरण में UCC का निर्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। इसकी बजाय उन्होंने प्रत्येक धर्म के पारिवारिक कानूनों में सुधार करने पर जोर दिया, ताकि उन्हें लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण बनाया जा सके।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

जल जीवन मिशन (JJM)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक विस्तार देने की मंजूरी दी।



मुख्य बिन्दु:

- अब इस मिशन का दृष्टिकोण केवल अवसंरचना के निर्माण से बदलकर स्थायी सेवा वितरण, संस्थागत जवाबदेही और स्थानीय शासन पर केंद्रित हो गया है।
जल जीवन मिशन (JJM) में अन्य प्रमुख बदलाव-
- सुजलम भारत:** पूरे देश के लिए एक समान डिजिटल संरचना, जिसका उद्देश्य स्रोत से लेकर नल तक पूरी पेयजल आपूर्ति प्रणाली की सटीक डिजिटल मैपिंग करना है।
- जल अर्पण:** योजनाओं को शुरू करने और उनके औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल व स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी।
- जल उत्सव पहल:** जल सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने हेतु वार्षिक सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
जल जीवन मिशन (JJM)-
- शुरुआत:** वर्ष 2019
- उद्देश्य:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करने वाला कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन

चर्चा में क्यों?

- भारत ने मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की।



मुख्य बिन्दु:

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन-

- **उद्घाटन:** 2023 में।
- **विशेषता:** यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसकी क्षमता बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई-स्पीड डीज़ल परिवहन करने की है।
- **लंबाई:** इस सीमा-पार पाइपलाइन की लंबाई 131 किलोमीटर है।
- यह भारत के सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल को उत्तरी बांग्लादेश के परबतिपुर डिपो से जोड़ती है।

--:31:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

GPS जैमिंग/स्पूफिंग

📢 चर्चा में क्यों?

- अमेरिका-ईरान युद्ध में कथित रूप से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) जैमिंग और GPS स्पूफिंग का उपयोग किया जा रहा है।



📌 मुख्य बिन्दु:

- ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) सिग्नलों पर इरादतन किए जाने वाले दो प्रकार के साइबर हमले हैं।
- इन हमलों का उद्देश्य वाहनों की नेविगेशन प्रणाली को बाधित करना या भ्रमित करना होता है।

GPS जैमिंग -

- इसमें जैमर नामक उपकरण का उपयोग करके वास्तविक GNSS सिग्नलों को बाधित और अवरुद्ध किया जाता है।
- यह समान आवृत्ति पर नॉइज़ पैदा करके कमजोर सिग्नलों को दबा देता है।

GPS स्पूफिंग -

- यह झूठे या भ्रामक GPS सिग्नल प्रसारित करके GPS रिसीवर को भ्रमित करने या उसमें हेरफेर करने की प्रक्रिया है।
- इससे GPS प्राप्तकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी अन्य स्थान पर स्थित है, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण गलत स्थान संबंधी डेटा प्रदान करता है।